

छत्तीसगढ़ शासन  
उच्च शिक्षा विभाग  
:: मंत्रालय ::  
महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 07/09/2016

कमांक एफ 3-11/16/38-1  
प्रति,

आयुक्त,  
उच्च शिक्षा संचालनालय,  
इंद्रावती भवन, नया रायपुर।

विषय :- मुख्य बजट वर्ष 2016-17 में प्रावधान अनुसार शासकीय स्नातक महाविद्यालयों का स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में उन्नयन एवं नवीन स्नातकोत्तर विषय प्रारंभ किये जाने की स्वीकृति बाबत।

राज्य शासन, एतद द्वारा, बजट वर्ष 2016-17 में मांग संख्या 41 एवं 44 में 14 स्नातक महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में उन्नयन हेतु 14 स्नातक प्राचार्य के पद को स्नातकोत्तर प्राचार्य के पद पर उन्नयन एवं प्राध्यापकों के 29 पद, प्रयोगशाला तकनीशियन के 06 पद एवं प्रयोगशाला परिचारक के 06 पद सृजन की स्वीकृति प्रदान करता है, जिसका विवरण निम्नलिखित अनुसार है:-

2/ मांग संख्या-41 में 02 महाविद्यालयों के स्नातक प्राचार्य का स्नातकोत्तर प्राचार्य के पद पर उन्नयन एवं 01 प्राध्यापक पद के सृजन की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है:-

क्र.	पदनाम	वेतनबैंड	ग्रेडवेतन	पद संख्या
1	प्राचार्य (स्नातकोत्तर)	37400-67000	10000 वि.वे. 3000	02
2	प्राध्यापक	37400-67000	9000	01
योग				03


महाविद्यालयवार पद सृजन की स्थिति निम्नानुसार होगी :-

क्र.	महाविद्यालय का नाम	स्नातकोत्तर प्राचार्य	सृजित पद	
			प्राध्यापक	संख्या
1	शासकीय लरंगसाय महाविद्यालय, रामानुजगंज, जिला बलरामपुर	1	--	--
2	शासकीय महाविद्यालय बीजापुर, जिला बीजापुर	1	हिन्दी	1
योग :-		02		01

उक्त पदों पर व्यय मांग संख्या-41-अनुसूचित जनजाति उपयोजना-2202-सामान्य शिक्षा-(03)-विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा-0102- अनुसूचित जनजाति उपयोजना-(103)-सरकारी कालेज और संस्थाएं-798-कला, विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय अनुसूचित जनजाति उपयोजना मद अंतर्गत विकलनीय होगा।

निरन्तर....

C1(L130)a



3/ मांग संख्या-44 में 12 महाविद्यालयों के स्नातक प्राचार्य का स्नातकोत्तर प्राचार्य पद उन्नयन, प्राध्यापक 28 पद, प्रयोगशाला तकनीशियन 06 पद एवं प्रयोगशाला परिचारक 06 पद के सृजन की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है:-

क्र.	पदनाम	वेतनबैंड	ग्रेडवेतन	पद संख्या
1	प्राचार्य (स्नातकोत्तर)	37400-67000	10000 वि.वे. 3000	12
2	प्राध्यापक	37400-67000	9000	28
3	प्रयोगशाला तकनीशियन	5200-20200	2400	06
4	प्रयोगशाला परिचारक	5200-20200	1800	06
योग				52

महाविद्यालयवार पद सृजन की स्थिति निम्नानुसार होगी :-

क्र.	महाविद्यालय का नाम	स्नातकोत्तर प्राचार्य	सृजित पद			
			प्राध्यापक		प्रयोगशाला तकनीशियन	प्रयोगशाला परिचारक
			विषय	संख्या		
1	शासकीय डॉ. राधाबाई नवीन कन्या महाविद्यालय रायपुर, जिला-रायपुर	1	हिन्दी	1	-	-
			राजनीतिशास्त्र	1		
			गणित	1		
2	शासकीय बद्रीप्रसाद कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय आरंग, जिला-रायपुर	1	गणित	1		
3	शासकीय कमला देवी कन्या महिला महाविद्यालय राजनांदगांव, जिला-राजनांदगांव	1	-	-	-	-
4	शासकीय माता शबरी नवीन कन्या महाविद्यालय, बिलासपुर, जिला-बिलासपुर	1	हिन्दी	1		
			इतिहास	1		
			समाजशास्त्र	1		
			राजनीतिशास्त्र	1		
			अर्थशास्त्र	1		
5	शासकीय महर्षि वाल्मिकी महाविद्यालय, भानुप्रतापपुर, जिला-कांकेर	1	-	-	-	-
6	शासकीय दन्तेश्वरी महिला महाविद्यालय जगदलपुर, जिला-बस्तर	1	प्राचीन भारतीय इतिहास	1	-	-
7	शासकीय स्वामी आत्मानंद महाविद्यालय नारायणपुर, जिला-नारायणपुर	1	अर्थशास्त्र,	1	-	-
			भूगोल	1	1	1
			राजनीतिशास्त्र	1	-	-
			समाजशास्त्र	1	-	-

क्र.	महाविद्यालय का नाम	स्नातकोत्तर प्राचार्य	सृजित पद			
			प्राध्यापक		प्रयोगशाला तकनीशियन	प्रयोगशाला परिचारक
			विषय	संख्या		
8	शासकीय डॉ ज्वाला प्रसाद मिश्र महाविद्यालय मुंगेली, जिला-मुंगेली	1	भौतिकशास्त्र	1	3	3
			प्राणीशास्त्र,	1		
			वनस्पतिशास्त्र	1		
			रसायनशास्त्र	1		
9	शासकीय शहीद बापूराव महाविद्यालय सुकमा, जिला-सुकमा	1	हिन्दी	1	-	-
			अंग्रेजी	1		
			अर्थशास्त्र	1		
10	शासकीय वीर सुरेन्द्र साय महाविद्यालय, गरियाबन्द, जिला-गरियाबन्द	1	भूगोल	1	1	1
			राजनीतिशास्त्र	1	-	-
11	शासकीय रेवतीरमण मिश्र महाविद्यालय सुरजपुर, जिला-सूरजपुर	1	अर्थशास्त्र,	1		
			समाजशास्त्र	1		
			वाणिज्य	1		
12	शासकीय गुंडाधूर महाविद्यालय, कोण्डागांव, जिला-कोण्डागांव	1	भूगोल	1	1	1
			राजनीतिशास्त्र	1	-	-
योग :-		12		28	06	06

उक्त पदों पर व्यय मांग संख्या-44-उच्च शिक्षा-2202-सामान्य शिक्षा-(03)-विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा-0101-राज्य आयोजना सामान्य-(103)-सरकारी कालेज और संस्थाएँ-798-कला, विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय आयोजना मद अंतर्गत विकलनीय होगा।

4/ उपरोक्त आदेश में किसी प्रकार की विसंगति होने पर या महाविद्यालय में उपरोक्त में से कोई विषय/पाठ्यक्रम पूर्व से स्वीकृत होने, अथवा महाविद्यालय को संबंधित विषय/पाठ्यक्रम की आवश्यकता नहीं होने पर प्राचार्य की जवाबदारी होगी कि आदेश जारी होने के 15 दिवस के भीतर उच्च शिक्षा संचालनालय को ई-मेल से अथवा विशेष वाहक के हस्ते सूचित करेंगे।

5/ जिन महाविद्यालयों में उपरोक्त स्वीकृत विषय/पाठ्यक्रम का संचालन जनभागीदारी अथवा स्व-वित्तीय मद से किया जा रहा है, उन्हें इसी सत्र 2016-17 से नियमित विभागीय विषय/संकाय/पाठ्यक्रम के अंतर्गत संचालित किया जायेगा तथा जनभागीदारी/स्व-वित्तीय व्यवस्था को तत्काल बंद किया जायेगा।

6/ स्वीकृति जारी होने में विलंब को देखते हुए आदेशित किया जाता है कि संबंधित महाविद्यालय में उपरोक्त विषय/संकाय/पाठ्यक्रम को इसी सत्र 2016-17 से प्रारंभ किया जावे तथा प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए 15.09.2016 तक की तिथि निर्धारित की जाती है।

7/ प्रत्येक विषय में 25 सीट संख्या निर्धारित की जाती है।

निरंतर.....

//4//

8/ विभागीय सेटअप अंतर्गत उपरोक्त 14 स्नातक प्राचार्य पद का उन्नयन स्नातकोत्तर प्रा में होने के कारण विभागीय सेटअप में 14 स्नातक प्राचार्य के पद स्वयमेव कम हो जाएंगे।

9/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू.ओ. क. f2016.38.00820/B-3/चार, दिनांक 27/7/ द्वारा दी गई सहमति अनुसार जारी की जा रही है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम  
तथा आदेशानुसार

(श्रीमती दुर्गा देवांगन)

अवर सचिव

छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय

रायपुर, दिनांक 07/09/2016

कमांक एफ 3-11/16/38-1

प्रतिलिपि :-

1. मान.राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर, छ.ग.
2. मान.मुख्यमंत्रीजी के प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर, छ.ग.
3. विशेष सहायक, मान.मंत्रीजी, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, नया रायपुर, छ.ग.
4. मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर, छ.ग.
5. प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, नया रायपुर, छ.ग.
6. महालेखाकार, छ.ग. रायपुर
7. सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर, छ.ग.
8. संभाग आयुक्त, .....संभाग, छ.ग.
9. संबंधित जिला कलेक्टर, जिला ..... छ.ग.
- 10.विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर, छ.ग.
- 11.संबंधित क्षेत्रीय अपर संचालक, बिलासपुर, छ.ग.
- 12.कुलसचिव, संबंधित विश्वविद्यालय ..... छ.ग.
- 13.संबंधित जिला कोषालय अधिकारी, जिला ..... छ.ग.
- 14.संबंधित प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, ..... जिला ..... छ.ग.  
की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
- 15.आदेश फोल्डर।

अवर सचिव

छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग